प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धयों के खलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा अपराध व अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

15000/-रुपये का इना मया वांछित अ भयुक्त गरफ्तार

धमकी देकर रंगदारी मांगने से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त गरफ्तार

घटना मे प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद

थाना जेठवारा पु लस टीम द्वारा थाना कुण्डा क्षेत्र अंतर्गत सीएचसी कुण्ड़ा के पास से अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया

घटना का सं क्षप्त का ववरण-

दिनांक 07.08.2023 को थानाक्षेत्र जेठवारा के डेरवा बाजार निवासी एक व्यापारी व्यक्ति से 50 लाख की रंगदारी, आरोपी द्वारा मोबाइल फोन से मांगने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 165/2023 धारा 507, 386, 120बी भाद व का अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत व अपर पु लस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्रा धकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा धर्मेन्द्र संह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह कां0 आनन्द प्रकाश यादव द्वारा अ भयुक्त अमान उर्फ शाहिद पुत्र मो0 इसरार निवासी सुभाष नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 12.09.2024 को थानाक्षेत्र कुण्डा के सीएचसी कुण्डा के पास गरफ्तार कया गया।

अमान उर्फ शाहिद पुत्र मो0 इसरार निवासी सुभाष नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गरफ्तारी हेतु पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 15,000/- रूपये का ईनाम घो षत कया गया था।

पूछताछ का ववरणः- गरफ्तार अ भयुक्त अमान उर्फ शाहिद द्वारा बताया गया क मैंने अपने सा थयों दानिश और यशराज मश्रा के साथ मलकर डेरवा बाजार में रहने वाले एक व्यापारी से फोन द्वारा 50 लाख की

रंगदारी मांगी गयी थी पैसा न देने पर मेरे व मेरे सा थयों द्वारा व्यापारी व व्यापारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी थी।

अ भयुक्त अमान उर्फ शाहिद को मु0अ0सं0 165/2023 धारा 507, 386, 120बी भाद व में गरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अ ग्रम कार्यवाही हेतु पेश कया जा रहा है।

 गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01- अमान उर्फ शाहिद पुत्र मो0 इसरार निवासी सुभाष नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का ववरणः-

01 अदद मोबाइल फोन घटना में प्रयुक्त

 गरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री बंशीधर राय थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

कां0 आनन्द प्रकाश यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा लगातार अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चे कंग के दिये गये है सख्त निर्देश

थाना अन्तू पु लस द्वारा चोरी की घटना से संबं धत 02 अ भयुक्तगण को कया गया गरफ्तार

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरखोरी मोड़ के पास से 02 अ भयुक्तगण को कया गया गरफ्तार

अ भयुक्तगणों के पास से चोरी के 06 अदद लोहे के एंगल, 01 अदद स्टार्टर, 01 अदद केबिल तार पांच मीटर, 01 अदद कन्डेनसर बरामद कया गया।

घटना का सं क्षप्त का ववरण-

दिनांक 09.09.2024 को ग्राम शवराजपुर में वादी के खेत से रात्रि में आरोपीगणों द्वारा 06 अदद लोहे के एंगल, 01 अदद स्टार्टर, 01 अदद केबिल तार पांच मीटर, 01 अदद कन्डेनसर आदि चोरी करने के संबंध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 518/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अ भयुक्त का अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में अपर पु लस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार संह व क्षेत्रा धकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना अन्तू श्री जितेन्द्र कुमार संह के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चौर सया मय हमराह का0 संदीप यादव, का0 जितेन्द्र यादव, का0 सु मत यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चे कंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू के मु0अ0सं0 518/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से संबं धत 02 अ भयुक्तगण 1- मुकेश गौड़ पुत्र दिनेश गौड़ निवासी ग्राम शवराजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 2- चन्दन अवस्थी पुत्र रमेशचन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम रंजीतपुर चलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत सरखोरी मोड़ के पास से चोरी के सामान 06 अदद लोहे के एंगल, 01 अदद स्टार्टर, 01 अदद केबिल तार पांच मीटर, 01 अदद कन्डेनसर गरफ्तार कया गया।

 गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

1- मुकेश गौड़ पुत्र दिनेश गौड़ निवासी ग्राम शवराजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

2- चन्दन अवस्थी पुत्र रमेशचन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम रंजीतपुर चलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी के 06 अदद लोहे के एंगल, 01 अदद स्टार्टर, 01 अदद केबिल तार पांच मीटर, 01 अदद कन्डेनसर बरामद ।

गरफ्तार करने वाली पु लस टीम-

उ0नि0 राकेश चौर सया मय हमराह का0 संदीप यादव, का0 जितेन्द्र यादव, का0 सु मत यादव थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धयों के खलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा अपराध व अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

जमीन पर अवैध कब्जा करने , मारपीट व धमकी देने से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त गरफ्तार

थाना अन्तू पु लस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंदिर के पास से अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया

घटना का सं क्षप्त का ववरण-

दिनांक 25.08.2024 को वादी मुकदमा की जमीन पर अवैध कब्जा करने व आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारने पीटने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 499/2024 धारा 191(2), 119(1), 352, 351(1), 131 बीएनएस का अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत व अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार संह एवं क्षेत्रा धकारी नगर श्री शवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री जितेन्द्र संह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह कां0 वक्रम कुमार द्वारा अ भयुक्त राजू वनवासी पुत्र राम अजोर वनवासी निवासी ग्राम भद्दी का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 12.09.2024 को थानाक्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंदिर के पास गरफ्तार कया गया।

अ भयुक्त राजू वनवासी को मु0अ0सं0 499/2024 धारा 191(2), 119(1), 352, 351(1), 131 बीएनएस में गरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अ ग्रम कार्यवाही हेतु पेश कया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- राजू वनवासी पुत्र राम अजोर वनवासी निवासी ग्राम भद्दी का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

कां0 विक्रम कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।